न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़।

प्रकरण संख्या :– 6/2018

प्रार्थना–पत्र :– ताराचन्द पुत्र भैराराम वगैरा जाति सुथार सा0 फौजूवाला तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 20/4/18

प्रार्थीगण ताराचन्द – धर्मपाल पुत्रगण भैराराम जाति सुथार निवासीगण फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ ने 5 एस एस एम का खाता सं. 40 मुरब्बा नं. 40 प.नं. 27/57 का 0.910 हैक्टर क./अ.क. व मुरब्बा नं. 56 प.नं. 27/58 का 6.325 हैक्टर क./अ.क. कुल 7.235 हैक्टर क./अ.क खातेदारी भूमि प्रार्थीगण के पिता भैराराम पुत्र मघाराम जाति सुथार निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर के नाम से दर्ज कागजात सरकार है। प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत चारो पुत्रो गौरीशंकर – औमप्रकाश – ताराचन्द – धर्मपाल पुत्रगण भैराराम जाति सुथार निवासी फौजूवाला तह. रायसिंहनगर के पक्ष में ब.हि.ब. दिनांक 14.7.15 को संपादित की हुई है। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण ने वसीयत दस्तावेज की प्रति व पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के अनुसार नामान्तकरण किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली संधारित कर पेशी पर ली गई। सर्वप्रथम सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर उज्रात आमंत्रित किये गये तथा पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई एवं प्रार्थीगण को वसीयत प्रार्थना–पत्र की पुष्टि में साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 5 एस एस एम का प.नं. 27/57 व 27/58 की कुल 7.235 हैक्टर क./अ.क भूमि भैराराम पुत्र मघाराम जाति सुथार सा. फौजूवाला के नाम से दर्ज है भूमि वसीयतकर्ता द्वारा स्वयं अर्जित है रकबा सम्बन्धी कोई न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में वसीयतकर्ता के वारिसान स्वयं केस पर्यवेक्षण में काश्त करवाते है। सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्र हांसल समाचार में दिनांक 23.01.2018 को प्रकाशित करवाई गई, जिस पर आज तक किसी ने कोई उज्र वा एतराज पेश नहीं किया है समाचार पत्र की प्रति सलंग्न पत्रावली है। वसीयतनामा में गवाह नन्दराम पुत्र लाधूराम व पृथ्वीराज पुत्र कानाराम ने वसीयतनामा की पुष्टि में अपने तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये, जिन्हे पत्रावली में शामिल किया गया।

इस प्रकरण में वसीयत दस्तावेज में खातेदार भैराराम पुत्र मघाराम ने अपनी स्वःअर्जित भूमि की वसीयत अपने पुत्रो गौरीशंकर – औमप्रकाश – ताराचन्द – धर्मपाल पुत्रगण भैराराम जाति सुथार निवासी फौजूवाला तह. रायसिंहनगर के पक्ष में निष्पादित करवाई हुई है। दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 14.7.15 को उपपंजीयक गजसिंहपुर से पंजिबद्ध है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट इस प्रकरण में कोई स्थगन/विवाद नहीं है। भूमि मौका पर प्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रहीं है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बावजूद किसी ने वसीयत के प्रति कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया है।

उक्त मिसल में प्रस्तुत सबूतो का भली भांती अध्ययन किया व भली भांती विवेचन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीगण का हस्तगत वसीयत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व पटवारी हल्का को आदेश दिये जाते है कि सलंग्न वसीयत अनुसार प्रार्थीगण गौरीशंकर – औमप्रकाश – ताराचन्द – धर्मपाल पुत्रगण भैराराम के नाम से भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर निस्तारण करवाये। पत्रावली नम्बर शुमार से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/4/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दानाराम भू.अ.)
तहसीलदार (भू.अ.)
अनूपगढ़